न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 15/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 रमेश चन्द पुत्र स्व. दीनदयाल (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स– प्रिन्स किराना स्टोर, शक्ति नगर, अजमेर रोड, थांवला नागौर। 2 निंभसिंह चौहान(प्रोपराईटर) मैसर्सः– बालाजी सेल्स कॉपोरेशन 26, गोलमाल गार्डन के पीछे, आमेर रोड, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।

दिनांक :16.10.2023

आदेश

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 14-02-23 को मैसर्स प्रिन्स किराना स्टोर, शक्ति नगर, अजमेर रोड, थांवला नागौर पर खाद्य पदार्थ घी (आर.एन. ए.डेयरी मिल्क एग्मार्क) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 2116 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/100/एक्ट/2023/127 दिनांक 22.02.2023 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ घी (आर. एन.ए.डेयरी मिल्क एग्मार्क) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण रमेश चन्द पुत्र स्व. दीनदयाल तथा निंभसिंह चौहान ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ. एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 19-06-2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने दिनांक 16.10.23 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से घी (आर.एन.ए.डेयरी मिल्क एग्मार्क) का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया, मैं उक्त घी बालाजी सेल्स कॉपोरेशन 26, गोलमाल गार्डन के पीछे, आमेर रोड, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर के यहां से खरीदता हूं। भविष्य में घी खरीदते व बेचते समय ऐसी गलती नहीं करूंगा। अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने प्रिन्स किराना स्टोर, शक्ति नगर, अजमेर रोड, थांवला नागौर से घी का सैम्पल लिया था जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया, उक्त घी मेरी फर्म द्वारा बेचा गया था भविष्य में घी बेचते समय ध्यान में रखकर तत्पश्चात बेचेंगे। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/100/एक्ट/2023/127 दिनांक 22.02.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (आर.एन.ए.डेयरी मिल्क एग्मार्क)का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 रमेश चन्द पुत्र स्व. दीनदयाल पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 02 निंभयसिंह चौहान पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, कुल रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)